

3/यो0स0क0-24/2023

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग 14

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -...13:04:2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजना मद अन्तर्गत संचालित मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के विभिन्न घटकों में कुल रू० 9034.00 लाख (नब्बे करोड़ चौतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अंतर्गत महिलाओं एवं किशोरियों के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण छत्र योजना अन्तर्गत मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना कार्यान्वित है। इस योजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में मूल उद्व्यय के तहत विभिन्न घटकों में कुल रू० 9034.00 लाख (नब्बे करोड़ चौतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू.लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना - सामान्य घटक	(51-2235021030110)	0110.31.06	3640.00
	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना -विशेष घटक	(51-2235027890108)	0108.31.06	5394.00
कुल योग (नब्बे करोड़ चौतीस लाख) मात्र				9034.00

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी। स्वीकृत राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक -12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स0क0-24/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-27/टि0 पर दिनांक-08.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स0क0-24/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-27/टि0 पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन



(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-24/2023 14

पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-24/2023 14

पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो0स0क0-24/2023 14

पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि- विभागीय आई०टी० मैनेजर,को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अपर सचिव,